न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 58 सन् 2019

विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य.....वादीगण

बनाम

राहुल राय व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 07.12.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6 एवं 7 की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक 26.02.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

उपर्युक्त प्रतिवादीगण का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण दिनांक 03.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगण को दिनांक 14.11.2019 को बयान तहरीरी से वंचित करने का आदेश हुआ है। प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगण को वाद से संबंधित कागजात उपलब्ध होने में देरी हो गई। जिस कारण समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं हो सका। अतः आदेश दिनांक 14.11.2019 को रिकॉल करते हुए दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत किया जाए।

उपर्युक्त प्रतिवादीगण की ओर से विलंब को माफ करने हेतु भी आवेदन दिनांक 26.02.2020 को दाखिल किया गया।

वादीगण की ओर से दिनांक 22.07.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल कर उनका कथन है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 14.11.2021 को बयान तहरीरी से वंचित किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वो 6 एवं 7 दिनांक 03.08.2019 को न्यायालय में हाजिर हुए। और दिनांक 19.12.2019 को उनके द्वारा बयान तहरीरी दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण जानबूझकर 26.02.2020 को दिनांक 14.11.2019 के आदेश को रिकॉल करने हेतु एवं बयान तहरीरी को स्वीकृत करने हेतु काफी विलंब से आवेदन दाखिल किया

गया है। अतः उपर्युक्त प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 26.02.2020 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 एवं 6 एवं 7 दिनांक 03.08.2019 को वकालतनामा के साथ न्यायालय में इस वाद में उपस्थित हुए हैं। उपर्युक्त प्रतिवादीगण के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। फलस्वरूप उन्हें दिनांक 14.11.2019 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया है। उपर्युक्त प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 19.12.2019 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया। परंतु आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन दिनांक 26.02.2020 को दाखिल किया गया। प्रस्तुत वाद में अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। इस वाद के उचित निर्णयन हेतु उपर्युक्त प्रतिवादीगण को एक अवसर प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26. 02.2020 को 500/– रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है और आदेश दिनांक 14.11.2019 को वापस लिया जाता है। प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी को स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादीगण को प्रदान कर वाद में संघर्ष करें।

वाद दिनांक 01.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।